निजी संस्थानों में भी लागू होगी सेवा नियमावली

डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ने आज जारी किया प्रारूप

डा0 एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0 ने आज दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त इंजीनियरिंग एवं प्रबन्धन के निजी संस्थानों के लिये सेवा नियमावली एवं अवकाश नियमावली का प्रारूप जारी किया है।

लम्बे समय से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी संस्थानों में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये किसी प्रकार की समान सेवा नियमावली के न होने के कारण एक ओर छात्रों को विभिन्न प्रकार की असुविधाओं का सामना पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर शिक्षकों एवं कर्मचारियों के शोषण के आरोप भी यदाकदा लगते रहते हैं।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 विनय कुमार पाठक ने बताया की इस सेवा नियमावली के माध्यम से शिक्षकों एवं कर्मचारियों को निर्धारित वेतन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके साथ ही विभिन्न स्तरों पर भर्ती नियमों के अनुसार की जा सकेगी। यही नहीं शिक्षकों के उचित समय पर पदोन्नति की राह भी आसान होगी। इसी प्रकार से अवकाश सम्बन्धी नियमावली का भी पालन करना आवश्यक होगा। मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश, अध्ययन अवकाश आदि के कारण संस्थानों में किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति को भी रोका जा सकेगा।

23 पेज की इस नियमावली को सभी सम्बद्ध संस्थानों को उपलब्ध करा दिया गया है। इस नियमावली पर 10 अक्टूबर, 2015 तक सुझाव आमंत्रित किये गये हैं जिनका समावेश अन्तिम प्रारूप में किया जायेगा।

आशीष मिश्र 30/9/15